रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122024-259488 CG-DL-E-18122024-259488

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 710]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 17, 2024/अग्रहायण 26, 1946 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 17, 2024/AGRAHAYANA 26, 1946

No. 710]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली 17 दिसंबर, 2024

सा.का.िन. 772(अ).—लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक दायित्व बीमा नियम, 1991 में संशोधन लाने के लिए प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 2872(अ) तारीख 19 जुलाई, 2024 के आधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्त होने से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और, उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को 19 जुलाई, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में उक्त अवधि के भीतर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है:

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक दायित्व बीमा नियम, 1991 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

8155 GI/2024 (1)

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सार्वजनिक देयता बीमा (संशोधन) नियम, 2024 है।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. लोक दायित्व बीमा नियम, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में,-
- (1) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(कक) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से अधिनियम की धारा 15क के आधीन नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;"
- (2) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(गक) "प्ररूप " से इन नियमों से संलग्न प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्ररूप अभिप्रेत है;"।
- (3) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-(घक) "अनुसूची" से इन नियमों में संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;"
- 3. उक्त नियम के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- **"3. संपत्ति की राहत या** पुनः बहाली **के लिए दावे हेतु आवेदन** (1) अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत संपत्ति की राहत या पुनः बहाली के लिए दावे हेतु आवेदन प्ररूप 1 में कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) संपत्ति की पुनः बहाली के लिए दावे हेतु आवेदन उस व्यक्ति द्वारा भी दायर किया जा सकेगा जो प्रभावित लोक संपत्ति में हित रखता हो तथा जो उस संपत्ति के साथ प्रत्यक्ष और ठोस संबंध प्रदर्शित कर सके।"
- 4 उक्त नियम के नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "3क. पर्यावरणीय क्षिति की पुनः बहाली के लिए पर्यावरण राहत निधि से निधियों का आबंटन (1) यथास्थिति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जैसा भी मामला हो, प्ररूप 2 में क्षिति की पुनः बहाली के लिए केन्द्रीय सरकार को पर्यावरण राहत निधि से निधियों के आबंटन के लिए आवेदन करेगा।
- (2) केन्द्रीय सरकार उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, हुई क्षति की सीमा की संवीक्षा करेगी तथा ऐसी क्षति की पुनः बहाली के लिए पर्यावरण राहत निधि से आबंटित की जाने वाली राशि का निर्धारण करेगी तथा प्ररूप-III में आदेश जारी करेगी।
- (3) क्षति की पुनः बहाली के लिए आवंटित धनराशि पर्यावरण राहत कोष में उपलब्ध धनराशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निधियों के आबंटन और उपयोग के समुचित लेखे और अभिलेख बनाए रखेंगे तथा केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें क्षति की पुनः बहाली की प्रगति और इस प्रकार उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा होगा।
- (5) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (9) के अधीन क्षति की पुनः बहाली के लिए पर्यावरण राहत कोष से आबंटित निधियों के उपयोग की निगरानी करेगी।"

- 5. उक्त नियम के नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "5क. औद्योगिक इकाई द्वारा राहत के लिए दावा करने के अधिकार का प्रकाशन.- किसी भी औद्योगिक इकाई में दुर्घटना होने पर, औद्योगिक इकाई को प्रभावित व्यक्तियों को अधिनियम और इन नियमों के आधीन राहत का दावा करने के उनके अधिकार के बारे में जानकारी देनी होगी।"।
- 6. उक्त नियम के नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:
- "9. सूचना देने की रीति.- (1) कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 18 के खंड (ख) के अधीन किसी कथित अपराध की शिकायत करने के अपने इरादे की सूचना प्ररूप IV में रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से दे सकता है।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना निम्नलिखित के संबंध में दी जा सकेगी,-
- (क) यदि अपराध संघ राज्य क्षेत्र में किया गया हो तो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अथवा भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को।
- (ख) यदि अपराध राज्य में किया जाता है तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को या राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के प्रभारी सचिव को।
- (3) अधिनियम की धारा 18 के खंड (ख) में उल्लिखित साठ दिन की अविध की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस दिन नोटिस ऊपर उल्लिखित प्राधिकारियों को पहली बार दिया गया था।
- उक्त नियम के नियम 10 में, -
- (क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(1) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2क के अधीन बीमा पॉलिसी की अधिकतम राशि दो सौ पचास करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी तथा बीमा पॉलिसी की अवधि या एक वर्ष के दौरान एक से अधिक दुर्घटनाओं की स्थिति में, जो भी कम हो, कुल मिलाकर पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी।"
- (ख) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(5) स्वामी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन हानि या क्षति के लिए ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति करने या अन्य राहत प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि इन नियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट है।
- 8. उक्त नियम के नियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
- 12. शिकायत— केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अपने प्राधिकृत अधिकारियों अथवा किन्हीं अन्य व्यक्तियों के माध्यम से, इस अधिनियम की धारा 14, 15 और 17 के आधीन किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में न्यायनिर्णायक अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या स्पीड पोस्ट से या व्यकितगत रूप से प्ररूप -V में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- 13. जांच करने का तरीका —(1) न्यायनिर्णायक अधिकारी, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे व्यक्ति को प्ररूप VI में नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे यह कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि नोटिस प्राप्ति की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन की अविध के भीतर, क्यों न उसके विरुद्ध जांच की जाए।

- (2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस में कथित रूप से किए गए उल्लंघन की प्रकृति का उल्लेख होगा।
- (3) ऐसे व्यक्ति द्वारा बताए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात, यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसी तारीख को पेश होने की अपेक्षा के लिए एक नोटिस जारी करेगा जो नोटिस में तय की जा सकेगी।
- (4) नियत तारीख पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है को ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए उल्लंघन और अधिनियम के उपबंध के बारे में बताएगा, जिसके संबंध में उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
- (5) न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति को प्ररूप -VIIके अधीन ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा जिन्हें वह जांच के लिए सुसंगत समझे और यदि आवश्यक हो तो सुनवाई को भविष्य की तारीख तक स्थगित किया जा सकेगा और ऐसे साक्ष्य लेते समय न्यायनिर्णायक अधिकारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- (6) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल होता है, उपेक्षा या उपस्थित होने से इंकार करता है तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करने के बाद ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच को आगे बढ़ा सकेगा।
- (7) यदि, न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य पर विचार करने पर, न्यायनिर्णायक अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने उल्लंघन किया है, तो वह लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम के अधीन ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकता है जिसे वह उचित समझता है।
- (8) उप-नियम (7) के अधीन जारी किए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम के उस उपबंध को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है और इसमें शास्ति अधिरोपण के कारण सम्मिलित होंगे।
- (9) इस नियम के अधीन जारी किए गए आदेश की एक प्रति और कार्यवाही की अन्य सभी प्रतियां शिकायतकर्ता और उस व्यक्ति को नि:शुल्क आपूर्ति की जाएंगी जिसके विरुद्ध जांच की गई थी।
- (10) न्यायनिर्णायक अधिकारी विरोधी पक्ष को नोटिस जारी करने से छह महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करेगा।
- (11) इन नियमों के अधीन जारी की गई सूचना या आदेश उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध जांच की जाती है, निम्नलिखित में से किसी रीति से की जाएगी-
- (i) उस व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को देना या सौंपना; अथवा
- (ii) इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा व्यक्ति को उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान पर भेजकर जहां उसने व्यवसाय किया या अंतिम बार व्यवसाय या व्यक्तिगत रूप से काम किया या लाभ के लिए अंतिम बार काम किया हो; अथवा
- (iii) यदि इसे खंड (i) या (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता है, तो इसे बाहरी दरवाजे या परिसर के किसी अन्य विशिष्ट हिस्से पर चिपकाकर क्रियान्वयन किया जा सकता है, जिसमें वह व्यक्ति रहता है या अंतिम निवास स्थान या व्यवसाय करने या व्यक्तिगत रूप से काम करने या लाभ के लिए काम करने के लिए जाना जाता है।

 \circ

- 14.शिकायत का हस्तांतरण (1) यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय है या यह प्रकट किया जाता है कि उसके पास इन नियमों के अधीन किसी शिकायत पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो वह ऐसी शिकायत या जानकारी की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर मामले को कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करने के पश्चात संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी को हस्तांतरित करेगा।
- (2) न्यायनिर्णायक अधिकारी, जिसे ऐसा मामला हस्तांतरित किया जाता है, वह उस जांच को उस चरण से आगे बढ़ाएगा जहां पर उसे हस्तांतरित किया जाता है।
- 15.समयाविध का विस्तार —न्यायनिर्णायक अधिकारी, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, जहां विलम्ब या कार्य करने में विफलता का उचित कारण है, इन नियमों में विनिर्दिष्ट किसी भी अविध को ऐसी अविध तक बढ़ा सकता है जिसे वह उचित समझता है।
- 16.आदेश और शास्तियां —(1) इन नियमों के अधीन प्रत्येक आदेश दिनांकित, हस्ताक्षरित और सभी पक्षों को सूचित किया जाएगा।
- (2) इस अधिनियम के आधीन शास्तियों के माध्यम से वसूली गई सभी धनराशि, पर्यावरण राहत कोष में जमा की जाएगी।
- 9. उक्त नियमों में प्ररूप 1और प्ररूप 2 केस्थानपरनिम्नलिखितअनुसूचियांरखी जाएंगी, अर्थात्:-

पहलीअनुसूची

प्ररूप।

[नियम 3(1) देखें] संपत्ति की राहत या पुनः बहाली के लिए आवेदन का प्ररूप

		ताराख:
श्री/सुश्री/श्रीमती*	श्री	की पुत्र/पुत्री/विधवा [*] की
	को एक दुर्घटना में मृत्यु/घायल हो गई थी। अ	न्य सूचना नीचे दी गई है :-

- 1. आवेदक की जानकारी:
- (i.) आवेदक का नाम:
- (ii.) पिता का नाम:
- (iii.) पता:
- (iv.) शहर: राज्य: ज़िप:
- (v.) संपर्क सं.:
- 2. प्रभावित पक्षकार की जानकारी:
- (i.) नाम:
- (ii.) पिता का नाम:
- (iii.) घायल/मृत/प्रभावित व्यक्ति का लिंग :
- (iv.) लगी चोटों की प्रकृति :
- (v.) घायल/मृत व्यक्ति की उपजीविका :

(vi.)	आवेदक के साथ	संबंध:					
(vii.)	पता:						
(viii.)	शहर:	राज्य:	ज़िप:				
	a						
3.	घटना का ब्यौरा	:					
(i.)	घटना की तारीख	T :					
(ii.)	घटना का समय:						
(iii.)	घटना का अवस्थ						
(iv.)			यर निशान लगाइए <u>)</u>				
	टना से निजी संपा	•	,				
_		•	·) की मृत्यु या क्षति				
			,				
4.	प्रस्तावित वित्ती	य हानि (यदि रु	गग् हो):				
		` '					
5.	घटना और नुकस	ान का वर्णन:					
6.	संलग्न संगत दस्त	ावेजों की सूची					
(i.)	मृत्यु, क्षति या नि	ने:शक्तता के मा	मले में चिकित्सा प्रम	ाणपत्र			
(ii.)	संपत्ति के नुकसा	न के संबंध में वि	त्या गया दावा				
(iii.)	मजदूरी की हानि	ो के मामले में रो	जिगार और प्राप्त मज	ादूरी का प्रमाण			
(iv.)	कोई अन्य दस्ता						
7.	अतिरिक्त सूचना	·:					
(i.)	जिस पुलिस स्टेश	ान के अधिकार-	क्षेत्र में दुर्घटना हुई ^इ	प्री या रजिस्ट्रीकृत [ः]	थी, उसका ना	ाम और पता:	
(ii.)	घायल/मृत व्यत्ति	_ह का उपचार क	रने वाले चिकित्सा ३	प्रधिकारी/चिकित्स <i>व</i>	क का नाम औ	र पता:	
(iii.)	कोई अन्य जानक	जरी जिसे दावे ^{वे}	के निपटान में आवश्य	। ।क या सहायक मार्	ना जा सकता	है:	
	मैं शपथ लेता हूं	और पुष्टि करता	हूं कि ऊपर वर्णित	प्तभी तथ्य मेरी जान	कारी और वि	वेश्वास के अनुसार स	त्य हैं।
	•	•				-	
						आवेदक/दावेदार के	हस्ताक्षर
तारीख:							
स्थान:							
* _ ^ ^		>:					

जो भी लागू न हो उसे काट दें

प्ररूप॥

[नियम 3क(1) देखें]

<u>पर्यावरणीय राहत कोष से निधियों के आबंटन के लिए आवेदन का</u>प्ररूप

श्री/श्री	मती/सुश्री	_ केंद्रीय	प्रदूषण	नियंत्रण	बोर्ड/राज्य	प्रदूषण	नियंत्रण	बोर्ड,
[सीपी	सीबी/एसपीसीबी] की ओर से, लोक दायित्व ब	त्रीमा अधिति	नेयम, 199)1 की धारा	7क के आधी	न स्थापित	पर्यावरणीय	ा राहत
कोष (ईआरएफ) से निधियों के आवंटन के लिए एतद्व	ारा आवेदन	ा प्रस्तुत क	रते हैं। आवेद	इन का ब्यौरा	नीचे दिया	गया है :	
1.	ब्यौरा :							
i.	[सीपीसीबी/एसपीसीबी] का नाम:							
ii.	पता:							
iii.	जिस व्यक्ति से संपर्क करना है:							
iv.	दूरभाष नं.:							
٧.	ई-मेल:							
2.	आबंटन का प्रयोजन :							
3.	प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रभाव :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				 		
4.	अनुमानित अपेक्षित निधि:							
i.	कुल अनुमानित अपेक्षितनिधि:							
ii.	निधि के उपयोग का विवरण :							
 5.	संलग्न संगत दस्तावेजों की सूची :							
6.	अतिरिक्त जानकारी :							
i.	स्वामी/स्वामियों के ब्यौरे सहित इकाई/इक	ाइयों का न	ाम:					
ii.	दुर्घटना करने वाली इकाई/इकाइयों द्वारा ि	वेनिर्मित/सं	भाले जाने	वाले रसाय	न का नाम			
iii.	स्थान के निर्देशांक और पता:							
iv.	दुर्घटना का स्थान, तारीख और समय:							
٧.	एसपीसीबी जिसके अधिकार क्षेत्र में पर्याव	रणीय क्षति	हुई या रा	जेस्ट्रीकृत की	ो गई थी:			
vi.	कोई अन्य जानकारी:					_		
मैं घोष	पणा करता हूं/करती हूं कि इस आवेदन में दी ग	ई सूचना मे	री जानका	री के अनुसा	र सही है।			
तारीख	7 :							
स्थानः	······································						-	
							1	TLAIL

[हस्ताक्षर]

[नाम]

[पदनाम]

[संगठन का नाम]

प्ररूप-Ш

[देखे- नियम 3क(2)]
आवेदन सं.
तारीख:
स्वीकृति आदेश
मैं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन संख्या के संदर्भ
में स्थान/इकाई/इलाके में पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के लिए पर्यावरण राहत निधि से रुमंजूर करता हूँ।
संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
प्रति:
1. निधि प्रबंधक
2. सीपीसीबी/एसपीसीबी का कार्यालय।
प्ररूप-IV
नोटिस का प्रारूप
[देखें:- नियम 9]
रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पावती देय
से*
को,
सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 18 के खंड (ख) के आधीन नोटिस;
जहांकि मुझे/हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) के अंतर्गत निम्न के द्वारा कोई अपराध किया गया है/किया जा रहा है**

मैं/हम सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 18 के खंड ।	(ख) के आधीन साठ दिनों व	का नोटिस देता हूं/देते हैं
कि मैं/हमारा आशय" निम्न के विरुद्ध न्यायालयमें शिकायत दर्ज करने का	है।	
लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा के उल्लंघन के कारण		
मैं/हम, इस नोटिस के समर्थन में, लोक दायित्व बीमा आदिनियम,199	भ के उल्लंघन के माध्य	के का में निमलियित
दस्तावेजों को संलग्न करता हूँ:-	म ५ ००० वर्ग के सादव	ग राज म ।गन्नायावरा
स्थान		
तारीख	हस्ताक्षर	

- * यदि नोटिस कंपनी के नाम से दिया गया है, तो नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति को अधिकृत करने वाला दस्तावेजी साक्ष्य इस नोटिस के साथ संलग्न किया जाएगा।
- ** यहाँ कथित अपराधी का नाम और पता दें। संभलाई/ विनिर्माण/ प्रसंस्करण/ संचालन इकाई के मामले में इकाई/स्थान का नाम और क्रियाकलाप की प्रकृति बताएं,
- *** दस्तावेजी साक्ष्य में कथित उल्लंघन/अपराध से संबंधित क्षेत्र की तस्वीरें, तकनीकी रिपोर्ट/स्वास्थ्य रिपोर्ट शामिल हैं।

प्ररूप**∨** [देखें- नियम 12]

सेवा में,
न्याय निर्णयन अधिकारी
1.शिकायतकर्ता का विवरण:-
(क) नाम:
(ख) सेवा के लिए पता:
(ग) संपर्क नंबर:
(घ) ईमेल (सेवा के लिए):
2. शिकायत का विवरण: -
(क) कथित उल्लंघन की तारीख, समय और घटना:
(ख) उल्लंघन का विवरण जिसमें सभी सुसंगत सामग्री विवरण दिए गए हों:
(ग) कथन के समर्थन में साक्ष्य:
(घ) क्षति की अनुमानित राशि (आर्थिक दृष्टि से) लागत विवरण सहित।
मैं/हम, शिकायतकर्ता,घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि इसमें वर्णित तथ्य मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार पूर् तरह से सही हैं।
3. शिकायतकर्ता का नाम और हस्ताक्षर:
टिप्पण जो लागू न हो उसे काट दें।

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11

		प्ररूप–VI		
		[देखें नियम 13(<i>1</i>	l)]	
सेवा में,				
		कारण बताओ नो	••	
	।वषय: लाक	दायित्व बीमा अधिनियः	म, 1991 का उल्लघना	
महोदय/महोदया,				
तारीखको	प्राप्त	शिकायत	(प्रतिलिपि	संलग्न) के
अनुसार,				में लोक दायित्व बीमा
अधिनियम,1991 की धारा				
सार्वजनिक दायित्व बी	मा अधिनियम, 1		लगाने के लिए जांच शु	बताना होगा कि आपके विरुद्ध रू क्यों न की जाए। यदि दी गई की जाएगी।
स्थान				
				न्याय-निर्णयन अधिकारी
				(कार्यालय का नाम और मुहर)
		प्ररूप-VII		
		[देखें- नियम 13(5 		
3	ल्लघनकता द्वारा	या उसकी ओर से दस्ता	त्रज़ या साक्ष्य प्रस्तुत क	रना
सेवा में न्याय-निर्णयन अधिकारी				

1.	मैं/हम,
	प्ररूप I में की गई शिकायत पर प्रति-बयान देता हूँ,
	जिन आधारों पर प्रति-बयान दिया गया है वे इस प्रकार हैं: -
2.	मोबाइल नंबर और ई-मेल सहित डाक सूची संख्या/कोड और राज्य
	सहित पूरा पता
3.	उल्लंघनकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:
4.	हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नम्बर

दूसरी अनुसूची [देखें- नियम 10(5)]

प्रत्येक मामले में किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति और अन्य राहतें निम्नानुसार होंगी:-

- क. घातक दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु होने पर, राहत राशि 5,00,000/- रुपये प्रति व्यक्ति होगी, इसके अतिरिक्त चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, अधिकतम 1,50,000/- रुपये तक की जाएगी;
- ख. पूर्ण स्थायी या आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर, राहत इस प्रकार होगी-
- (i) यदि कोई चिकित्सा व्यय हुआ हो तो उसकी प्रतिपूर्ति, प्रत्येक मामले में अधिकतम 25,000/- रुपए तक; तथा
- (ii) पूर्ण स्थायी विकलांगता के मामले में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर नकद राहत 5,00,000/- रुपये होगी;
 - ग. अस्थायी आंशिक विकलांगता के कारण दैनिक-आय की हानि, जिससे पीड़ित के धनार्जन करने की क्षमता कम हो जाती है, एक निश्चित मासिक राहत वास्तविक राशि होगी जो अधिकतम 25,000/- रुपये प्रति माह होगी और अधिकतम 3 महीने तक होगी, यदि पीड़ित 3 दिनों से अधिक अविध के लिए अस्पताल में भर्ती रहा हो और उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक हो;
 - घ. निजी संपत्ति को हुए नुकसान के मामले में, राहत राशि प्रत्येक मामले में वास्तविक क्षति के आधार पर 50.00.000/- रुपये से अधिक नहीं होगी।
 - ङ. अन्य चोट या बीमारी के लिए, प्रत्येक मामले में वास्तविक राशि की 25,000/- रुपये से अधिक राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।"

[फ़ा. सं. एचएसएम-12/96/2020-एचएसएम] वेद प्रकाश मिश्रा,संयुक्त सचिव टिप्प्प: मूल नियम एस.ओ.330 (ई) तारीख 1 मई, 1991 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात. जी.एस.आर संख्या 596 (ई) तारीख 20 सितंबर, 1991, जी.एस.आर. संख्या 87 (ई) तारीख 6 फरवरी 1992 और जी.एस.आर संख्या 391 (ई) तारीख 23 अप्रैल 1993 के माध्यम से संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi the 17th December, 2024

G.S.R. 772(E) - Whereas the draft notification in exercise of the powers conferred by sections 23 of the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991), for bringing out amendment to the Public Liability Insurance Rules, 1991 were published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, *vide* notification number S.O. 2872(E), dated the 19th July, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 19th July, 2024;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft notification within the said period have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 23 of the Public Liability Insurance Act, 1991 the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Public Liability Insurance Rules, 1991, namely: -

- 1. (1) These rules may be called the Public Liability Insurance (Amendment) Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Public Liability Insurance Rules, 1991 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, -
 - (1) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(aa) "adjudicating officer" means an officer appointed under section 15A of the Act;".
 - (2) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(ca) "form" means a form set out in the First Schedule appended to these rules;".
 - (3) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(da) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;".
- 3. For rule 3 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely: -
 - "3. **Application for claim for relief or restoration of property -** (1) An application for claim for relief or restoration of property under section 6 of the Act shall be made to the Collector in Form I.
 - (2) An application for claim for restoration of the property may also be filed by a person who holds an interest in the affected public property, and who can demonstrate a direct and substantial connection with that property.".
- 4. After rule 3 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely: -

- "3A. Allocation of funds from Environmental Relief Fund for restoration of environmental damage. (1) The Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board as the case may be, shall make an application for allocation of funds from the Environmental Relief Fund to the Central Government for restoration of the damage in Form II.
- (2) The Central Government shall, upon receipt of an application under sub-rule (1) scrutinise the extent of the damage caused and determine the amount to be allocated from the Environmental Relief Fund for restoration of such damage and issue an order in Form-III.
- (3) The amount of the Funds allocated for restoration of damage shall not exceed ten percent of the amount available in the Environmental Relief Fund.
- (4) The Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Board shall maintain proper accounts and records of the allocation and utilisation of funds, and shall submit annual reports to the Central Government containing the details of the progress of restoration of damage and funds so utilised.
- (5) The Central Government shall monitor the utilisation of funds allocated from the Environmental Relief Fund for the restoration of the damage under sub-section (9) of section 7 of the Act.".
- 5. After rule 5 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely: -
 - "5A. **Publication of right to claim for relief by the Industrial unit.** In case any accident occur in any industrial unit, the industrial unit shall publicise among the affected persons regarding their right to claim for relief under the Act and these rules.".
- 6. For rule 9 of the said rules, the following rule shall be substituted namely:-
 - "9. Manner of giving notice.- (1) Any person may give notice of his intention to make a complaint of an alleged offence under clause (b) of section 18 of the Act in Form IV through registered speed post or electronic mail.
 - (2) Notice referred to in sub-rule (1) may be given,-
 - (a) to the Central Pollution Control Board or to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in case the offence is committed in Union Territory.
 - (b) to the State Pollution Control Board or to the Secretary of the State Government in charge of the Department of Environment and Forest, in case offence is committed in the State.
 - (3) The period of sixty days mentioned in clause (b) of section 18 of the Act shall be reckoned from the Date the notice is first delivered to the authorities mentioned above.
- 7. In rule 10 of the said rules, -
 - (a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -
 - "(1) The maximum aggregate of the insurance policy under sub-section 2A of section 4 of the act shall not exceed two hundred and fifty crore rupees and in case of more than one accident during the currency of insurance policy or one year, whichever is less, shall not exceed, five hundred crore rupees in the aggregate.";

- (b) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely: -
- "(5) The owner shall be liable to reimburse such amount, or provide such other relief for the loss or damage under sub-section (1) of section 3 of the Act as specified in the Schedule to these rules.
- 8. After rule 11 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely: -
 - 12. **Complaint**. The Central Pollution Control Board and State Pollution Control Boards, through their authorized Officers, or any other person, may file a complaint in Form-V through electronic means or speed post or by hand to the adjudicating officer regarding any contravention committed under sections 14, 15 and 17 of the Act.
 - 13. **Manner of Holding Inquiry**. (1) The adjudicating officer, within thirty days from the date of receipt of the complaint, shall issue a notice in Form VI to such person requiring him to show cause within such periods as may be specified in the notice, not being less than fifteen days from the date of service of notice, why an inquiry should not be held against him.
 - (2) Every notice under sub-rule (1) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.
 - (3) After considering the cause, if any, shown by such person, if the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice requiring the appearance of that person personally or through a legal representative duly authorised by him on such date as may be fixed in the notice.
 - (4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised legal representative, the contravention committed by such person and the provision of the Act in respect of which contravention is alleged to have been committed.
 - (5) The adjudicating officer shall give an opportunity to such person to produce such documents or evidence under Form-VII as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023).
 - (6) If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-rule (3) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.
 - (7) If, upon consideration of the evidence produced before the adjudicating officer, the adjudicating officer is satisfied that the person has committed the contravention, he may, by order in writing, impose such penalty under the Act as he considers reasonable.
 - (8) Every order made under sub-rule (7) shall specify the provision of the Act in respect of which contravention has been committed and shall contain the reasons for imposing the penalty.
 - (9) A copy of the order made under this rule and all other copies of proceedings shall be supplied free of cost to the complainant and the person against whom the inquiry was held.
 - (10) The adjudicating officer shall complete the proceeding within six months from the issuance of the notice to the opposite party.
 - (11) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person against whom an inquiry is held, in any of the following manner, namely:-

(i) Name:

- (i) by delivering or tendering it to that person or his authorised representative; or
- (ii) by sending it to the person through electronic means or by registered post or speed post to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or
- (iii) if it cannot be served in the manner specified under clauses (i) or (ii), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain.
- 14. **Transfer of complaint.-** (1) If the adjudicating officer is of the view or it is made to appear that he does not have jurisdiction to entertain the complaint under these rules, he shall transfer the matter to the adjudicating officer concerned within fifteen days of the receipt of such complaint or information made available to him, after reasons to be recorded in writing.
- (2) The adjudicating officer to whom such case is transferred shall proceed with the inquiry from the stage it is transferred to him.
- 15. **Extension of time.** The adjudicating officer may, for reasons to be recorded in writing, where there is a reasonable cause for the delay or failure to act, extend any period specified in these rules till such period as he considers reasonable.
- 16. **Order and penalties. -** (1) Every order under these rules, shall be dated, signed and communicated to all the parties.
- (2) All sums realised by way of penalties under the Act shall be credited to the Environmental Relief Fund.".
- 9. For Form I and II in the said rules, the following Schedules shall be substituted, namely: -

THE FIRST SCHEDULE

FORM I

[See rule 3(1)] FORM OF APPLICATION FOR RELIEF OR RESTORATION OF PROPERTY

		Date:		
Mr/Ms/Mrs.*	····	Son of/ daughter of/ Widow*		
Mr		died/had sustained- injuries in an accident or		
	_ Other inform	nation are given below: -		
1. Applicant Information:				
(i) Name of the Applicant:(ii) Father's name:(iii) Address:(iv) City:(v) Contact No.:	State:	Zip:		
2. Affected Party information:				

	(ii) Father's Name: (iii) Sex of the person in (iv) Nature of injuries s (v) Occupation of the p (vi) Relationship with a (vii) Address: (viii) City:	ustained: erson injured/dead:	Zip:	
3.	Details of Accident:			
4.	Estimated financial lo	ss (if applicable):		
5.	Description of acciden	t and damage:		
6.	List of relevant docum	 nents attached:		
	(ii) Damage to property	ent and wages received in ca	•	
7.	Additional Information	on:		
	(i) Name and add registered:	lress of police station in v	whose jurisdiction accident	took place or was
	(ii) Name and add dead:	ress of the registered medi-	cal practitioner who attende	ed on the injured or
	(iii) Any other info claim:	rmation that may be consid	ered necessary or helpful in	n the disposal of the
I hereb	y swear and affirm that a	all the facts noted above are	true to the best of my knowl	edge and belief.
		SIC	GNATURE OF THE APPLI	CANT/CLAIMANT

^{*} Strike out whichever is not applicable

FORM II

[See rule 3A(1)]

FORM OF APPLICATION FOR ALLOCATION OF FUNDS FROM ENVIRONMENTAL RELIEF FUND

Mr./Mrs./Miss on behalf of Central Pollution Control Bo	ard / the State
Pollution Control Board, [CPCB/SPCB], hereby submit an application for the allocation of	funds from the
Environmental Relief Fund (ERF) established under section 7A of the Public Liability Insur	
The details of the application are provided below:	
1. Details:	
(i) Name of [CPCB/SPCB]:	
(ii) Address:	
(iii) Contact person:	
(iv) Contact number:	
(v) Email address:	
2. Purpose of allocation:	
	_
3. Assessed environmental damage:	
4. Estimated fund requirement:	
(i)Total estimated fund requirement:	
(ii)Breakdown of fund utilization:	
5. List of relevant documents attached:	
6. Additional information:	
(i) Name of the Unit/Units with detail of owner/owners:	_
(ii)Name of chemical manufactured/ handled by the unit/units causing accident:	
(iii) Address and co-ordinates of the Site:	_
(iv) Place, date and time of Accident:	_
(v) State Pollution Control Board in whose Jurisdiction environmental damage took place registered:	ce or was
(vi) Any other information:	
I hereby declare that the information provided in this application is accurate to the best of m	y knowledge.
Date:	
Place:	
	[Cianatura]

[Signature]
[Name]
[Designation]
[Organization Name]

19 [भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण

FORM-III [See rule 3A(2)]

Application	No.
Date:	

for violation of section of the Public Liability Insurance Act,1991.

	in support of this notice, hereby enclose the following documents *** evidence of proof of violation Public Liability Insurance Act,1991:-
Place _	
Date _	Signature
	* In case the notice is given in the name of the company, documentary evidence authorising the person to sign the notice shall be enclosed to this notice.
	** here give the name and address of the alleged offender. In case of handling/ manufacturing/ processing/ operating unit indicate the name of the unit/location and nature of activity,
	*** Documentary evidence includes, photographs technical report/health reports of the area; relating to the alleged violation/offence.
	FORM V [See rule 12]
To,	

The Adjudication Officer

- (a) Name:
- (b) Address for service:
- (c) Contact No:
- (d) Email (for service):
- 2. Particulars of complaint: -
 - (a) Date, time and instance of commission of the alleged contravention:
 - (b) Statement of contravention setting out all relevant material particulars:
 - (c) Evidence in support of the statement:
 - (d) Tentative amount of damage (in pecuniary terms) with cost break-up.

I/We......, the complainant.....herein declare that the facts stated herein are correct to the best of

my/our knowledge.

3. Name and Signature of the Complainant:

Note. – Strike out whichever is not applicable.

	Form –VI
	[See rule 13(1)]
То	
	SHOW CAUSE NOTICE
	Sub: Contravention of the Public Liability Insurance Act, 1991.
Sir/Madam,	

of

2. The above contravention is liable for penalty.

As per the complaint received on dated _

section

3. Therefore, you are required to show cause within a period of ----- days of service of this notice, why an inquiry should not be initiated against you under the Public Liability Insurance Act, 1991 for imposition of penalty. In case, no reply is received within the given period, the further action shall be taken under the Act.

the

Public

Date	
Place	

under

Adjudicating Officer (Name and seal of the office)

(copy enclosed), contravention has been committed

Insurance

Liability

FORM-VII [See rule 13(5)] Furnishing of document or evidence by or on behalf of the contravener			
To Adjudication Officer			
1.	I/We,		
2.	Complete address including postal index number/code and state along with mobile number and e-mail.		
3.	Signature of the contravener or his authorised representative:		
4.	Name of the person along with mobile number who has signed.		

THE SECOND SCHEDULE [See rule 10(5)]

Reimbursement of medical expenses incurred in each case and other reliefs shall be as follows:-

- (a) death due to fatal accidents, the relief will be Rs. 5,00,000/- per person in addition to reimbursement of medical expenses, if any, incurred on the person up to a maximum of Rs. 1.50.000/-:
- (b) permanent total or permanent partial disability, the relief will be -
 - (i) reimbursement of medical expenses incurred, if any, up to a maximum of Rs. 25,000/- in each case; and
 - (ii) cash relief on the basis of percentage of disablement as certified by a registered medical practitioner in case of total permanent disability will be Rs. 5,00,000/-;
- (c) loss of wages due to temporary partial disability which reduces the earning capacity of the victim, a fixed monthly relief will be actual amount not exceeding Rs. 25,000/- per month up to a maximum of 3 months in case the victim has been hospitalised for a period exceeding 3 days and is above 16 years of age;
- (d) damage to private property, relief will be an amount not exceeding Rs. 50,00,000/- depending on the actual damage in each case.
- (e) other injury or sickness, reimbursement of amount not exceeding Rs. 25,000/- of actual amount in each case.".

[F. No. HSM-12/96/2020-HSM] VED PRAKASH MISHRA, Jt .Secy.

Note: The Principal rules were published vide S.O.330 (E) dated 1st May, 1991 and amended subsequently vide G.S.R. No. 596 (E) dated 20th September, 1991, G.S.R. No. 87 (E) dated 6th February 1992 and G.S.R. No. 391 (E) dated 23rd April 1993.